(e) whether it is a fact that all the Members of the Selection Committee belong to the same service—IPS;

(f) if so, how the intra-service personal factors in the process of selection are taken care of; and

(g) whether the decision of the Selection Committee is final or whether the Union Home Minister has a say in such selections; if not, the reasons therefor?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI RAJESH PILOT): (a) Various Training Programmes are circulated amongst the State Govts., Central Police Organisations and other concerned organisations for nominating suitable and eligible officers for training. The nominations so received are considered by a Selection Committee, known as the Screening Committee on the basis of guidelines laid down for the purpose.

(b) Yes, Sir.

(c) The Screening Committee comprises Director, Intelligence Bureau; Director, Central Bureau of Investigation; Director General, Bureau of Police Reserch & Development and Joint Secretary (Police), Ministry of Homo Affairs.

(d) No, Sir.

(e) No, Sir.

(f) Does not arise.

(g) The Screening Committee is an advisory body. The recommendations of the Committee are processed in the Ministry of Home Affairs and submitted to the Union Home Minister, when required.

कश्मीर के संबंध में एक पैकेज

352. **श्री मुहम्मद अफजल उर्फ शीश अफजल** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने कश्मीर के संबंध में एक पैकेज तैयार क्या है ;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ; और

(ग) इसे कब तक लागू किया जाएगा ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजेश पायलट) : (क) जी नहीं, श्रीमान् ।

(ख) और (ग) उपर्युक्त को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता है ।

विदेशी राष्ट्रिकों का अवैध रूप से प्रवास

353. **डा. जितेन्द्र कुमार जैन** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हमारे देश में बड़ी संख्या में अवैध रूप से घुसपैठ कर आए विदेशी नागरिक अभी भी विशेषकर दिल्ली में रह रहे हैं ;

(ख) यदि हां, तो क्या यह भी सच है कि गत वर्ष सरकार द्वारा ऐसे लोगों के रहने के स्थानों का पता लगा लिया गया था ;

(ग) यदि हां, तो इनमें से कितने लोगों को जून, 1993 तक उनके स्वदेश भेजने की व्यवस्था की गई थी ; और

(घ) अभी भी दिल्ली में कितने विदेशी राष्ट्रिक अवैध रूप से रह रहे हैं ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजेश पायलट) : (क) से (घ). नेपाल एवं भूटान के नागरिकों के अलावा भारत में प्रवेश करने वाले विदेशी राष्ट्रिकों को वैध वीसा दस्तावेज रखने जरूरी होते हैं । तथापि, अपने पड़ोसी राष्ट्रों के साथ भारत की जो अति विशिष्ट विस्तृत छिद्रिल सीमा है उससे अवैध घुसपैठ को भी सहायता मिलती है । ऐसा विश्वास है कि असम, पश्चिम बंगाल और बिहार तथा संघ शासित क्षेत्र दिल्ली में कुछ स्थानों पर विदेशी